हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी
Board of School Education Haryana, Bhiwani
(Established Under Haryana Board of School Education Act, 1969)

Circular No:- BSEH/HOS/2025/10 Date:- 20-11-2025

प्रैस–नोट

जिन परीक्षार्थीयों के द्वारा हरियाणा मुक्त विद्यालय सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा मार्च–2026 (सी0टी0पी0/ओ0सी0टी0पी0/रि–अपीयर/आंशिक/पूर्ण अंक सुधार/अतिरिक्त विषय श्रेणी) के लिए आवेदन करना हैं, वे निम्न शैड्यूल अनुसार बोर्ड की वैबसाईट WWW.bseh.org.in पर ऑन–लाईन आवेदन कर सकते हैं :–

सैकेण्डरी		सी.टी.पी./ओ.सी.टी.पी./ अतिरिक्त विषय श्रेणी हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क	आंशिक विषय अंक सुधार/पूर्ण विषय अंक सुधार/रि–अपीयर श्रेणी हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क
बिना विलम्ब शुल्क	24.11.2025 से 02.12.2025	1250/–रू0	1150/– रू0
100/रू0 विलम्ब शुल्क सहित	03.12.2025 से 11.12.2025	1250+100=1350/–रू0	1150+100=1250/–रू0
300/रू0 विलम्ब शुल्क सहित	12.12.2025 से 21.12.2025	1250+300=1550/–रू0	1150+300=1450/–रू0
1000/रू0 विलम्ब शुल्क सहित	22.12.2025 से 31.12.2025	1250+1000=2250/–रू0	1150+1000=2150/–रू0

सीनियर सैकेण्डरी		सी.टी.पी./ओ.सी.टी.पी./ अतिरिक्त विषय श्रेणी हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क	आंशिक विषय अंक सुधार/पूर्ण विषय अंक सुधार/रि–अपीयर श्रेणी हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क
बिना विलम्ब शुल्क	24.11.2025 से 02.12.2025	1300/–रू0	1200/–रू0
100/रू0 विलम्ब शुल्क सहित	03.12.2025 से 11.12.2025	1300+100=1400/–रू0	1200+100=1300/–रू0
300/रू0 विलम्ब शुल्क सहित	12.12.2025 से 21.12.2025	1300+300=1600/–रू0	1200+300=1500/–रू0
1000/रू0 विलम्ब शुल्क सहित	22.12.2025 से 31.12.2025	1300+1000=2300/–रू0	1200+1000=2200/–रू0

नोटः–परीक्षार्थियों द्वारा सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी (मु0वि0) प्रायोगिक विषय हेतु 100/– रू0 प्रति विषय अतिरिक्त शुल्क अलग से देय होगा।

हिदायतेः–

1. सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी (मु0वि0) परीक्षा मार्च–2026 से ओ0सी0टी0पी0 श्रेणी में आवेदन करने वाले अन्य राज्य बोर्ड के परीक्षार्थी यदि सैकेण्डरी में 06 या 06 से अधिक विषय एवं सीनियर सैकेण्डरी में 05 या 05 से अधिक विषय होगें तो उस अवस्था में छात्र को इच्छानुसार केवल अधिकतम 04 पास विषयों का लाभ दिया जाएगा तथा सीनियर सैकेण्डरी के लिए एक विषय व सैकेण्डरी के लिए एक या अधिकतम दो ऐसे विषय जो मुक्त विद्यालयी पाठ्यक्रम में शामिल होगें की परीक्षा देना अनिवार्य होगा।
2. अन्य राज्य बोर्ड से आने वाले परीक्षार्थी हरियाणा मुक्त विद्यालय की OCTP कैटेगरी में आवेदन करते है तो उनको भी CTP कैटेगरी की तरह ही पास विषय/विषयों का लाभ दिया जायेगा तथा अन्य राज्य बोर्ड की परीक्षा में जिन विषयों में फेल हैं यदि वह विषय मुक्त विद्यालय प्रणाली में शामिल नहीं होगें तो ऐसी अवस्था में ऑनलाईन आवेदन के समय निःशुल्क विषय परिवर्तन करते हुए हरियाणा मुक्त विद्यालयी पाठ्यक्रम में शामिल विषयों अनुसार ही विषय चयन की अनुमति दी जाऐगी। यदि परीक्षार्थी किसी ऐसे प्रायोगिक विषय जो मुक्त विद्यालय पाठ्यक्रम प्रणाली में शामिल नहीं है उस प्रायोगिक विषय की परीक्षा के लिखित या प्रायोगिक किसी एक भाग में पास तथा दूसरे भाग में फेल होगा तो ऐसे परीक्षार्थियों को मुक्त विद्यालय पाठ्यक्रम के अनुरुप ही विषय परिवर्तन करना होगा तथा ऑनलाईन आवेदन करते हुए निःशुल्क विषय परिवर्तन करने की अनुमति होगी।
3. हरियाणा मुक्त विद्यालय में सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी की CTP/Re-appear श्रेणी में अपीयर होने वाले परीक्षार्थियों के प्रायोगिक विषय/विषयों के जिस भाग में पास हों उस पास भाग के अंक परीक्षा में अपीयर होने से लेकर परीक्षा में अपीयर होने की अन्तिम देय अवधि तक ज्यों के त्यों अग्रेसित किए जाऐगें जैसे यदि कोई परीक्षार्थी प्रायोगिक विषय के लिखित भाग में पास व प्रायोगिक भाग में फेल होगा तो उसे केवल प्रायोगिक भाग की परीक्षा देनी होगी तथा यदि प्रायोगिक भाग में पास व लिखित भाग में फेल है तो उसे केवल लिखित भाग में परीक्षा देनी होगी व सी0टी0पी0 के INA/SSA/ प्रायोगिक विषय के अंक अन्तिम देय अवधि तक ज्यों के त्यों अग्रेसित किए जाऐगें। OCTP कैटेगरी में आवेदन करने वाले परीक्षार्थी जो प्रायोगिक विषय/विषयों में अपीयर हुए है, ऐसे परीक्षार्थियों को लिखित व प्रायोगिक दोनों भागों की परीक्षा देना अनिवार्य है।
4. सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक) परीक्षा में अनुत्तीर्ण/कम्पार्टमैंट प्राप्त करने वाले छात्रों द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई है तथा शैक्षिक परीक्षा के सभी अवसर समाप्त हो गये हैं, ऐसे परीक्षार्थी अन्तिम अवसर समाप्त होने के 5 वर्ष के अन्दर–2 हरियाणा मुक्त विद्यालय की क्रेडिट ट्रांसफर प्रणाली (CTP Category) में प्रवेश ले सकते हैं।

5. ओ0सी0टी0पी0 प्रणाली के तहत आवेदन करने वाले परीक्षार्थी ऑन–लाईन आवेदन की हार्ड कॉपी व मूल फेल/कम्पार्टमैन्ट कार्ड (Not Qualified/ Compartment Card) Registration करने उपरान्त सम्बन्धित बोर्ड से मूल सत्यापित पत्र व अतिरिक्त (Additional) विषय की हार्ड कॉपी तथा पास प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति पंजीकृत डाक द्वारा निम्न पते पर भिजवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा अनुक्रमांक जारी नही किया जायेगाः–

सहायक सचिव (मुक्त विद्यालय)
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड,
हांसी रोड़, भिवानी–127021

अतः इच्छुक परीक्षार्थी बोर्ड की आधिकारिक वैबसाईट www.bseh.org.in पर आवेदन कर सकते है।

हस्ता0
सचिव